

भर्ती और सेवा की शर्तें आदेश

(संख्या 2/2018)

विषय: राज्य सभा सचिवालय (नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धतियां और अर्हताएं) आदेश, 2017 का संशोधन।

राज्य सभा सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम , 1957 के नियम 4 के उप-नियम (2) और नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सभा के सभापति राज्य सभा सचिवालय (नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धतियां और अर्हताएं) आदेश, 2017 में संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं: -

1. संक्षिप्त नाम

इस आदेश का नाम राज्य सभा सचिवालय (नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धतियां और अर्हताएं) संशोधन आदेश, 2018 है।

2. आदेश का संशोधन

क) राज्य सभा सचिवालय (नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धतियां और अर्हताएं) आदेश, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 (सं. 1/2017) में, पैरा 8 के नीचे निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाए,:-

" 8 क. सेलेक्शन ग्रेड के लिए उन्नयन

26.09.2012 से, वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 में विधायी, वित्तीय, अधिशासी और प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ सचिवालय सहायकों को उस ग्रेड में 5 वर्षों तक लगातार सेवा करने के बाद उनके अगले उच्चतर ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए विहित बेंचमार्क के समतुल्य या उससे उच्च स्तर में उनके कार्यनिष्पादन के अधीन रिक्ति होने की अपेक्षा के बिना वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 में वरिष्ठ सचिवालय सहायक (सेलेक्शन ग्रेड) के अंतर्निहित ग्रेड में उन्नयन कर दिया जाएगा।

ख) राज्य सभा सचिवालय (नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धतियां और अर्हताएं) आदेश, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 (सं. 1/2017) में, पैरा 15 (1) में '27 वर्ष' अंक और शब्द के स्थान पर '30 वर्ष' अंक और शब्द **प्रतिस्थापित** किए जाएं।

3. अनुसूची का संशोधन

राज्य सभा सचिवालय (नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धतियां और अर्हताएं) आदेश, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 (सं.1/2017) की अनुसूची का निम्नानुसार संशोधन किया गया है :-

क) अनुसूची और परिशिष्ट -1 में जहां कहीं भी किसी पद का नाम "सहायक निदेशक " दिया गया है , उसे "उप निदेशक" से **प्रतिस्थापित** किया जाए।

ख) क्रम सं. 9 के कॉलम सं . 5 में, "विधायी, वित्तीय, अधिशासी और प्रशासनिक सेवा " शीर्ष के अधीन 'सहायक विधायी/समिति/नयाचार/अधिशासी अधिकारी' पद के नाम के सामने, मौजूदा पैराग्राफ -

"पदोन्नति के लिए -

वरिष्ठ सचिवालय सहायक के ग्रेड से चयन द्वारा जिन्होंने उस ग्रेड में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या उच्चतर ग्रेड में वरिष्ठता के अनुसार वरिष्ठ सचिवालय सहायक और सचिवालय सहायक के ग्रेडों में 15 वर्षों की सम्मिलित सेवा पूरी कर ली हो।" के स्थान पर

निम्नलिखित पैराग्राफ **प्रतिस्थापित** किया जाएगा -

"पदोन्नति के लिए -

वरिष्ठ सचिवालय सहायक (सेलेक्शन ग्रेड) के ग्रेड से चयन द्वारा जिन्होंने उस ग्रेड में न्यूनतम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या उच्चतर ग्रेड में वरिष्ठता के अनुसार वरिष्ठ सचिवालय सहायक (सेलेक्शन ग्रेड) और वरिष्ठ सचिवालय सहायक के ग्रेडों में 10 वर्षों की सम्मिलित सेवा पूरी कर ली हो।"

ग) क्रम सं. 10 के कॉलम सं. 5 में, "विधायी, वित्तीय, अधिशासी और प्रशासनिक सेवा " शीर्ष के अधीन 'वरिष्ठ सचिवालय सहायक' पद के नाम के सामने, मौजूदा पैराग्राफ

" सचिवालय सहायक, जिन्होंने उस ग्रेड में न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो, के ग्रेड से चयन द्वारा।" के स्थान पर-

निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"25 प्रतिशत सचिवालय सहायक के ग्रेड से विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन द्वारा जिन्होंने उस ग्रेड में न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो और विधायी, वित्तीय, अधिशासी और प्रशासनिक सेवा में मूल पद पर हों।

75 प्रतिशत सचिवालय सहायक के ग्रेड से चयन द्वारा जिन्होंने वरिष्ठता के अनुसार उस ग्रेड में न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो।"

घ) क्रम सं. 6 के कॉलम सं. 5 में, "शब्दशः वृत्तलेखन सेवा" शीर्ष के अधीन "संसदीय वृत्तलेखक" पद के नाम के सामने "सीधी भर्ती के लिए" उपशीर्ष के नीचे निम्नलिखित शब्द, प्रतीक और अंक अंतस्थापित किए जाएंगे :-

"अधिकतम आयु सीमा - 35 वर्ष"

ङ) क्रम सं. 6 के कॉलम सं. 5 में, "युगपत भाषांतरण सेवा" शीर्ष के अधीन "संसदीय भाषांतरकार" पद के नाम के सामने मौजूदा प्रविष्टि -

"अधिकतम आयु सीमा - 30 वर्ष" के स्थान पर

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी -

"अधिकतम आयु सीमा - 35 वर्ष"

च) क्रम सं. 8 के कॉलम सं. 5 में, "मुद्रण और प्रकाशन सेवा " शीर्ष के अधीन "पूफ रीडर " पद के नाम के सामने मौजूदा प्रविष्टि -

"अधिकतम आयु सीमा - 30 वर्ष" के स्थान पर

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी -

"अधिकतम आयु सीमा - 35 वर्ष"

छ) क्रम सं. 7 के कॉलम सं. 5 में, "संपादन और अनुवाद सेवा" शीर्ष के अधीन "अनुवादक" पद के नाम के सामने मौजूदा प्रविष्टि -

"अधिकतम आयु सीमा - 30 वर्ष" के स्थान पर

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी -

"अधिकतम आयु सीमा - 35 वर्ष"

देश दीपक वर्मा
महासचिव

सं. आरएस.14/1/2017-कार्मिक

दिनांक 28 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि:

1. राज्य सभा के माननीय सभापति का कार्यालय
2. महासचिव का कार्यालय
3. सचिव के निजी सचिव
4. पदक्रम सूची फाइल
5. डी.जी.ए.सी.आर. (सीएपी), नई दिल्ली
6. सभी अधिकारी/अनुभाग/निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक तथा वेतन और लेखा कार्यालय, राज्य सभा

(पी.पी.के. रामाचार्युलु)
सचिव